संख्या-3/2015/क0नि0-4-160/11-2015-300(13)/2011

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 19 फरवरी,2015

विषयः- मण्डल कार्यालय अमरोहा (जे0पी0नगर) में कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-अमरोहा-125/का0भ0 निर्माण/2014-15/845/वाणिज्य कर, दिनांक 28.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमरोहा (जे0पी0नगर) में वाणिज्य कर विभाग के मण्डल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट से धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या- क0नि0-4-1526/11-13-300(13)/2011, दिनांक 03-01-2014 द्वारा प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-क0नि0-4-497/11-2014-300(13)/2011, दिनांक 21-04-2014 द्वारा रू0 28.20 लाख (रू0 अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र) अवमुक्त किये गये है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 56.40 लाख (रू0 छप्पन लाख चालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलम्बतम् दिनांक 31-03-2015 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-89 के लेखा शीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1305-जनपद अमरोहा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-बी-1- 2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव।

संख्या-3/2015/क0नि0-4-160(1)/11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, अमरोहा(जे0पी0नगर)उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, मुरादाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।